आयुक्त न्यायालय, सारण प्रमण्डल, छपरा

जमाबंदी रद्दीकरण पुनरीक्षण वाद संख्या–32 / 2019

1. मु० ललिता कुँवर, पति–स्व० मुंशी भगत
2. अभयलाल भगत
3. सन्तलाल भगत
4. साधुलाल सिंह
5. संतोषी देवी

बनाम्

1. बिहार सरकार।
2. समाहर्त्ता, सिवान।
3. अपर समाहर्त्ता, सिवान।
4. अंचलाधिकारी, रघुनाथपुर, जिला–सिवान।

उपस्थिति / प्रतिनिधित्व :–

वादी की तरफ से :–विद्वान अधिवक्ता, मकेश्वर प्रसाद सिंह, तेजेश्वर प्रसाद एवं विश्वनाथ प्रसाद।

सरकार की तरफ से :–विद्वान सरकारी अधिवक्ता, सारण।

WEB COPY NOT OFFICIAL

आदेश

अनुसूची **14**–फार्म संख्या–**563**

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	*आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ*
04.10.2024 **21.10.2024**	प्रस्तुत वाद न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, सीवान द्वारा जमाबंदी रद्द अपीलवाद सं०–388 / 2017–18 में दिनांक–28.12.2016 को पारित आदेश के विरूद्ध इस स्तर पर लाया गया है। विद्वान सरकारी अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रस्तुत वाद में वादीगण द्वारा दिनांक–02.07.2021 को इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि प्रश्नगत भूमि से संबंधित एक हकियत वाद सं०–998 / 2013 सीवान सब जज–14 के न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। अतएव वे अब रिविजन की कार्रवाई आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें प्रस्तुत जमाबंदी रद्दीकरण पुनरीक्षण वाद सं०–32 / 19 को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय। वादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक–02.07.2021 में समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, सीवान द्वारा जमाबंदी	

	रद्दीकरण अपीलवाद सं०–388 / 2017–18 में दिनांक–28.12.2016 को पारित आदेश के अवलोकन में प्रश्नगत भूमि से संबंधित एक हकियत वाद सं०–998 / 2013 सीवान सब जज–14 के न्यायालय में विचाराधीन पाये जाने का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। एक ही भूमि पर दो अलग–अलग न्यायालय में वाद का संचालन किया जाना वैधानिक रूप से त्रुटिपूर्ण है। ऐसी स्थिति में वादीगण के विद्वान अधिवक्ता के आवेदन दिनांक–02.07.2021 में किये गये अनुरोध के आलोक में उन्हें अपना आवेदन वापस लेने की स्वीकृति दी जाती है। तदनुसार प्रस्तुत वाद को "Dismissed as withdrawn" किया जाता है। आई0टी0 सहायक को आदेश दिया जाता है कि आदेश प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर इस आदेश को आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। लेखापित एवं संशोधित आयुक्त आयुक्त	

WEB COPY NOT OFFICIAL